न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/51/2025	2025/179	20.03.2025	02.04.2025

1. प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र पूरणमल जाति महाजन निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान) हाल आबाद 9/22 तीसरा फ्लोर साउथ पटेल नगर दक्षिण मध्य दिल्ली–110008
2. दीपक गुप्ता पुत्र पूरणमल जाति महाजन निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान) हाल आबाद तीसरा फ्लोर ऋषि नगर रानी बाग उत्तर पश्चिम सरस्वती विहार दिल्ली–110034

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2672 दिनांक 06.12.2024 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री सूर्यकान्त शर्मा

– वकील अपीलान्ट

–: निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2672 निर्णय दिनांक 06.12.2024 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी मृतक पूरणमल पिता अपीलान्ट व पुत्री रूचि गुप्ता को वीरासत में प्राप्त हुई थी, रूचि गुप्ता ने अपना हक अपीलान्टान को तर्क कर रिलीज डीड तहरीर कराकर दिनाक 28.06.2024 को उपपंजियक कार्यालय किशनगढबास पर पंजीबद्व करा दिया था। जिस हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण पटवारी हल्का दर्ज कर वास्ते स्वीकृति तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण सही दर्ज किया गया था। हक त्याग पत्र में सहवन से एक खसरा न0 631 रकबा 0.3500 है0 का 3/14 भाग प्रिन्ट हो गया था, जबकि इस खसरा न0 का हक त्याग नही किया गया था, और पटवारी हल्का को भी इस बाबत कहा गया था, तो उन्होने आराजी खसरा न0 631 को छोडकर बाकी सभी खसरा नम्बरान का नामान्तकरण भरा था। मिन अपीलान्टान ने निवेदन किया गया था कि आराजी खसरा न0 631 सहवन से प्रिन्ट हो गया था जिसे नामान्तकरण से मुक्त कर दिया गया था। तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को उक्त जरजशुदा आराजी का नामान्तकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था, मगर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एंव संलग्न दस्तावेज के नामान्तकरण अस्वीकार करने की भूल की है। मिन अपीलान्टान आराजी खसरा न0 631 की बाबत अपने हक में नामान्तकरण नही कराना चाहते है, शेष खसरा नम्बरान का नामान्तकरण कराना चाहते है, नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.12.2024 की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्टान को दिनाक 11.02.2025 को पटवारी हल्का के पास नामान्तकरण की नकल लेने हेतु गये तब हुई। इससे

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

पूर्व कोई जानकारी मिन अपीलान्टान को नही थी, न्यायहित में दिनाक 06.12.2024 से 11.02.2025 तक का समय कन्डोन किया जाना न्यायसंगत व आवश्यक है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2672 निर्णय दिनांक 06.12.2024 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2672 निर्णय दिनांक 06.12.2024 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 06.03.2025 को पेश की गयी है, जो करीब एक 3 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.12.2024 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 11.02.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी मृतक पूरणमल पिता अपीलान्टान व पुत्री रूचि गुप्ता को वीरासत में प्राप्त हुई थी, रूचि गुप्ता ने अपना हक अपीलान्टान को तर्क कर रिलीज डीड तहरीर दिनाक 28.06.2024 को उपपंजियक किशनगढबास से पंजीबद्व करा दिया था। जिस हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण पटवारी हल्का दर्ज कर वास्ते स्वीकृति तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण सही दर्ज किया गया था। हक त्याग पत्र में सहवन से एक खसरा न0 631 रकबा 0.3500 है0 का 3/14 भाग प्रिन्ट हो गया था, जबकि इस खसरा न0 का हक त्याग नही किया गया था, तहत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 2672 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास में वर्णित आराजी खाता संख्या 235 खसरा नम्बरान कमशः 630/1201, 634, 636, 694, 709 खातेदारान दीपक, प्रमेाद, रूचि हिस्सा 1/3 , खाता संख्या 236 खसरा नम्बरान कमशः 630, 635 खातेदारान दीपक, प्रमोद, रूचि हिस्सा 1/3 व खाता संख्या 463 खसरा नम्बर 644 खातेदारान दीपक, प्रमाद, रूचि हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड थी, जिससे से मुमाबिक रिलीज डीड रूचि का हिस्सा दीपक, प्रमोद के हक में दर्ज किया गया है। आराजी खसरा न0 631 रकबा 0.3500 है0 उक्त नामान्तकरण में वर्णित नही है, उक्त खसरा न0 सहवन से रिलीज डीड में अंकित हुआ है, पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण मुताबिक रिलीज डीड सही दर्ज किया गया है, किन्तु तहत अदालत द्वारा नामान्तरण खारिज किया गया है, जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्टान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.12.2024 नामान्तकरण संख्या 2672 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)